रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042024-253622
CG-DL-E-09042024-253622

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 9, 2024/चैत्र 20, 1946
No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 9, 2024/CHAITRA 20, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

आ.अ. 100(अ).—यतः,श्री एस. सुदर्शन राव (इसमें इसके बाद "अभ्यर्थी" के रूप में संदर्भित) वर्ष, 2019 में आयोजित 01- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए अपेक्षित है कि वह अधिनियम की धारा 77 के तहत स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए निर्वाचन व्यय का अपना लेखा परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के भीतर दर्ज करे; और

यतः,जिला निर्वाचन अधिकारी (इसमें इसके बाद डीईओ के रूप में संदर्भित), दक्षिण अंडमान ने अपने पत्र दिनांक 24.06.2019 के जरिए बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री एस. सुदर्शन राव ने अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल नहीं किया। अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करने में विफल रहने के लिए निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89(5) के तहत दिनांक 13.08.2020 को आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951की धारा 10 (क) के तहत निरर्हता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। डीईओ, दक्षिण अंडमान ने सूचित किया है कि अभ्यर्थी1-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 के दौरान नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करते समय उनके द्वारा दिए गए पते पर नहीं रह रहा था और इसलिए, उक्त नाम-

निर्देशन पत्र के साथ दायर शपथ पत्र में दिए गए पते पर नोटिस की तामील के संबंध में गवाहों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए गए थे; और

यतः,डीईओ, दक्षिण अंडमान ने अपनी पूरक रिपोर्ट दिनांक 24.06.2021 के जरिए सूचित किया है कि अभ्यर्थी ने आयोग के कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.08.2020 के प्राप्त होने के बाद भी अपना निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं किया है; और

यतः,पत्र सं.76/एएनआई-एचपी/एसओयू3/2024 दिनांक 01.07.2021 के जरिए अभ्यर्थी श्री सुदर्शन राव को उक्त नोटिस शपथ पत्र में दी गई उनकी ईमेल आईडी ssao46@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से भी दिनांक 01.07.2021 को इस निदेश के साथ भेजा गया है किवे उक्त पत्र की प्राप्ति के 20 दिनों के भीतर यानी 21.07.2021 तक उक्त नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करें; और

यतः, श्री. एस. सुदर्शन राव ने उक्त नोटिस का जवाब नहीं दिया है और उन्हें आयोग के आदेश सं.76/एएनआई-एचपी/एसओयू3/2019 दिनांक 17.08.2021 के जरिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के तहत निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल नहीं करने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए-निरर्हितकर दिया गया था,

यतः,उक्त निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी ने दिनांक 31.01.2024 को आयोग को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसे अपीलीय प्राधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपील के रूप में माना गया और उक्त अभ्यावेदन आयोग के पत्र दिनांक 02.02.2024 के जरिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी,अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माध्यम से डीईओ, दक्षिण अंडमान को टिप्पणियों के लिए भेजा गया था; और

यतः,मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पत्र दिनांक 04.03.2024 के माध्यम से डीईओ, दक्षिण अंडमान ने अपने पत्र 01.03.2024 के जरिए यह बताया है कि उक्त अभ्यर्थी ने व्यय रजिस्टर के भाग-।। में 74,618 रुपये का व्यय घोषित किया है जबकि बैंक विवरणी में 1,21,089/-रु. की धनराशि दर्ज की गई थी और;

यतः,उक्त श्री एस. सुदर्शन राव ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 05.03.2024 के जरिए एक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है और कहा है कि वह 1,21,089/- रुपये के कुल व्यय के 46,471/- रु. के शेष वाउचर जमा नहीं कर सके थे क्योंकि उन्होंने यह व्यय नकद रूप में किया है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दुर्गम भू-भाग के कारण, उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई वाउचर उपलब्ध नहीं है जिससे उसकी अधिकतम सीमा में कोई बदलाव नहीं होता है; और

यतः,अधोहस्ताक्षरी ने श्री एस. सुदर्शन राव द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए प्रस्तुतीकरण और अभ्यावेदन/अपील दिनांक 30.01.2024 और 06.03.2024 मे उठाए गए बिंदुओं, जिसमें मामले से सुसंगत अन्य तथ्य शामिल हैं, पर ध्यानपूर्वक विचार किया है; और

यतः,चूंकि नोटिस तामील किए जाने के बाद भी, अभ्यर्थी ने अपनी निरर्हता के समय तक, आयोग के उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.08.2020के प्रति कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए अधोहस्ताक्षरी की राय है कि हालांकि मामला निरर्हता हटाने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है, फिर भी न्याय के उद्देश्य की समुचित रूप तभी पूर्ति हो जाएगी जब निरर्हता अवधि को पहले ही बीत चुकी अवधि तक कम कर दिया जाए क्योंकि अभ्यर्थी ने 06.03.2024 को प्राधिकारी को अपने निर्वाचन व्ययों और अन्य विवरणों का पूरा लेखा-जोखा प्रस्तुत कर दिया है; और

यतः, इसलिए,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा19(क) के तहत, इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के तहत

आदेश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 10क के तहत आदेश सं.76/एएनआई-एचपी/एसओयू3/2019 के तहत उक्त श्री एस. सुदर्शन रावपर 17 अगस्त, 2021 को अधिरोपित निरर्हताकी अवधि 05 मार्च, 2024 सहित इसी अवधि तक कम कर दी जाए, और उक्त निरर्हता 06 मार्च, 2024 से प्रभावी नहीं रह जाएगी। यह आदेश भी दिया जाता है कि इस आदेश का सभी संबंधितों द्वारा तुरंत अनुपालन किया जाए।

तदनुसार आदेशित।

[सं. 76/एएनआई-एचपी/एसओयू3/2024]

आदेश से,

अजय भादू, उप निर्वाचन आयुक्त

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2024

O.N. 100(E).—WHEREAS, Shri S. Sudershan Rao **(**hereinafter referred to as "the candidate") was a contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha, 2019 from 01- Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency, held in the year, 2019. As per the Section 78 of the Representation of the People Act, 1951 the contesting candidate is required to lodge his account of election expenses within 30 days of declaration of result kept by him or by his election agent under Section 77 of the Act; and

WHEREAS, The District Election Officer (hereinafter referred to as DEO), South Andaman vide his letter dated 24.06.2019 reported the Shri S. Sudershan Rao, contesting candidate did not file the account of his election expenses. The Candidate was issued Show Cause Notice by the Commission on 13.08.2020 under rule 89(5) of the Conduct of Election Rules 1961 for failing to lodge his account of election expenses for disqualification u/s 10(A) of the RP Act, 1951. The DEO, South Andaman has reported that the candidate was not residing at the address provided by him at the time of filing nomination form during general Election to the Lok Sabha, 2019 for 1-Andaman & Nicobar Islands Parliamentary Constituency and therefore, the signature of witnesses were also obtained regarding serving of the notice at the given address in the Affidavit filed with the said nomination form; and

WHEREAS, the DEO, South Andaman vide his Supplementary Report dated 24.06.2021 has informed that the candidate has not submitted his election expenses even after the receipt of the Commission's show because notice dated 13.08.2020; and

WHEREAS, vide letter No. 76/ANI-HP/SOU3/2019 dated 01.07.2021, the said notice was also served to the candidate through e-mail on 01.07.2021 to Sh. Sudershan Rao's email id ssrao46@gmail.com , given in Affidavit with direction to S. Sudershan Rao submit a reply to the said notice within 20 days of receipt of the said letter i.e. latest by 21.07.2021; and

WHEREAS, Sh. S. Sudershan Rao has not responded to the said notice and he was disqualified for not lodging his account of election expenses under section 10A of the Representation of People Act, 1951 vide Commission's Order No. 76/ANI-HP/SOU3/2019 dated 17.08.2021 for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years; and

WHEREAS, the said contesting candidate has submitted a representation along with expenditure details to the Commission on 31.01.2024 which was considered as Appeal by the Appellate Authority, Election Commission of India and the said representation was sent for comments to the DEO, South Andaman through Chief Electoral Officer, Andaman & Nicobar Islands vide ECI's letter dated 02.02.2024; and

WHEREAS, the DEO, South Andaman vide his letter 01.03.2024 through Chief Electoral Officer, Andaman & Nicobar Islands's letter dated 04.03.2024 has reported that the said candidate has declared an expenditure of Rs. 74,618 in part II of the expenditure register while an amount of Rs. 1,21,089/- was reported in the bank statement and;

WHEREAS, the said Sh. S. Sudershan Rao vide his representation dated 05.03.2024 has furnished an affidavit and stated that he could not submit the remaining vouchers of Rs. 46,471/- of total expenditure of Rs. 1,21,089/- as he has incurred this expenditure through cash and due to difficult terrains of the Andaman and Nicobar Islands, no vouchers are available with him to produce which does not alter his ceiling limit.; and

WHEREAS, the undersigned has carefully considered the submission made by Sh. S. Sudershan Rao during the personal hearing as well as the points raised by him in his representation/Appeal dated 30.01.2024 and 06.03.2024 including all other relevant facts in the case; and

WHEREAS, since even after serving notice, the candidate did not submit any representation against the Commission's said Show Cause Notice dated 13.08.2020, till the time of his disqualification, the undersigned is of the view that though the case is not fit for removal of disqualification altogether, the ends of justice will be adequately met if the disqualification period is reduced to the period already undergone as the candidate has furnished his complete account of election expenses to the authority on 06.03.2024; and

NOW, THEREFORE, under 19 (A) of the RP Act, 1951, in exercise of the powers delegated in this regard by the Election Commission, the undersigned hereby orders, under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification imposed on 17th August, 2021 vide Order No. 76/ANI-HP/SOU3/2019 under Section 10A of the said Act, on the said Shri S. Sudershan Rao be reduced to the period up to and including 05th March, 2024 , and the said disqualification shall not be operative with effect from 06th March, 2024 onwards. It is further ordered that this order shall be executed immediately by all concerned.

Ordered Accordingly.

[No. 76/ANI-HP/SOU3/2024]

By Order,

AJAY BHADOO, Dy. Election Commissioner

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.09 21:34:40 +05'30'